न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 684/2024
जमानत आवेदन संख्या : 83/2026
सी.आई.एस. नं. : 81/2026

नरेन्द्र सिंह पाल पुत्र जगदीश सिंह, निवासी मकान नंबर 147, राम कॉलोनी हसनपुरा ए, थाना सदर जयपुर हाल मकान नंबर 12, गोकुलधाम कॉलोनी, हाथोज रेलवे फाटक के पास, सिरसी रोड, थाना करधनी जयपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471 भा.द.स.
पुलिस थाना कानोता, जयपुर

उपस्थिति :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. पारीक, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर स

: आदेश : दिनांक : 22.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवायी गयी। अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, बस्सी जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दिनांक 16.04.2026 को अस्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त व विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के समस्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया ममता जोशी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि उसने एक प्लॉट संख्या 283, जो आवासीय योजना सालासर धाम कानोता रेलवे स्टेशन, रामसिंहपुरा फाटक, ग्राम पंचायत बूडथल, तहसील बस्सी जयपुर में स्थित है को उसने 18.02.2016 को जरिये विक्रय पत्र उपपंजीयक बस्सी जयपुर में उपस्थित होकर पंजीकृत करवाया, जिसे 08 लाख रूपये में क्रय किया। प्लॉट को विक्रय करते समय विक्रेता नरेन्द्र कुमार पाल ने बनेटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड से आवंटन पत्र दिनांक 14.11.1994 जारी किया गया। उक्त आवंटन पत्र के साथ रसीद संख्या 2064 पर मंत्री शम्भूदयाल के हस्ताक्षर हैं। विक्रय पत्र का ड्राफ्ट नवाब खान की उपस्थिति में किया गया। ललिता देवी ने उक्त प्लॉट का आवंटन पत्र पेश किया जिसे उसने राधेश्याम से खरीद करना बताया

जिसका आवंटन पत्र राधेश्याम के नाम से जारी किया गया है, उसको उसने न्यायालय में पेश नहीं किया, परंतु बनेटी गृह निर्माण सहकारी समिति की रसीद संख्या 1394 दिनांक 24.03.1993 की पेश की है जिस पर शंभूदयाल के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 24.08.2004 को आवंटन पत्र संख्या 1119 का जारी किया तथा न्यायालय में पेश किया जिस आवंटन पत्र पर अध्यक्ष विनोद कुमार, मंत्री जगदीश के हस्ताक्षर हैं। बनेटी गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा वर्ष 2004 में जो आवंटन पत्र ललिता देवी के नाम से जारी किया गया है उसका विक्रय पत्र या अन्य दस्तावेजात को जांच बिना ही ट्रांसफर कर आवंटन किया गया जो फर्जी तरीके से धोखा देने की नीयत से किया गया। सोसायटी द्वारा उक्त प्लॉट संख्या 283 सालासर धाम स्कीम, बनेटी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा दो–दो आवंटन पत्र अलग–अलग व्यक्तियों के नाम से जारी किये गये हैं जो कि फर्जी हैं। कजोडमल मीणा, नरेन्द्र कुमार पाल, नवाब खां, पप्पू सैनी ने मिलीभगत कर भू–माफिया गिरोह बना रखा है और जो भी प्लॉट खाली होता है उस पर फर्जी आवंटन पत्र व फर्जी रसीदें तैयार कर भोले–भाले सीधे लोगों को धोखाधडी कर बेच देते हैं। कोई प्लॉटधारी पीडित इसकी शिकायत करता है तो पीड़ित को जान से मारने की धमकी व फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कानोता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में। प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के कहीं फरार होने या गवाहों को बहकाने बरगलाने का अंदेशा नहीं है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलकों पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से है** :–

क्र.सं.	मु0 संख्या	धारा	थाना	नतीजा
1.	निल	निल	निल	निल

6. उभय पक्षों को सुनने तथा विचारण न्यायालय से मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किए जाने के उपरांत यह दर्शित होता है कि यह प्रकरण परिवादिया ममता द्वारा दर्ज करवाया गया है, जिसमें उसने कई व्यक्तियों पर फर्जी पट्टे के आधार पर प्लॉट बेचने का आरोप लगाया है। अनुसंधान अधिकारी ने केवल मुलजिम नरेन्द सिंह पाल को आरोपी पाया है, अन्य किसी व्यक्ति से कोई आपराधिक दायित्व बनना नहीं पाया है। विचारण न्यायालय के आदेश के अनुसार मुलजिम का कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न्यायालय में आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। मुलजिम काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मुलजिम का उक्त जमानत आवेदन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पाल पुत्र जगदीश सिंह ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000– 25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) के मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उसे तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31-01-2023** की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज दिनांक **22.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम